



दिल्ली विकास प्राधिकरण

वाणिज्यिक भूमि

**टिकरी कलां में अग्नि प्रभावित पीवीसी व्यापारियों
हेतु पुनर्वास स्कीम**

सार्वजनिक सूचना

पूर्ववर्ती पीवीसी मार्केट, ज्वालापुरी के अग्नि प्रभावित मूल आबंटियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) टिकरी कलां में पीवीसी व्यापारियों हेतु पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के लिए लंबित मामलों की जांच कर रहा है।

तदनुसार, पूर्ववर्ती पीवीसी मार्केट, ज्वालापुरी के सभी शेष मूल आबंटी, जिनके पास अभी भी उक्त पर कब्जा है, ने अपना पट्टा विलेख निष्पादित करवा लिया है, तथा जिन्हें पीवीसी मार्केट, टिकरी कलां में प्लॉट आबंटित नहीं किए गए हैं, उनसे एतद्वारा अनुरोध है कि वे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट **www.dda.gov.in** पर अपलोड किए गए परिपत्र के अनुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।

दस्तावेज़ उप निदेशक (वाणिज्यिक भूमि) के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

हस्ता./—

आयुक्त (एलडी)

ddaoofficial official_dda official_dda पर हमें फॉलो करें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।



दिल्ली विकास प्राधिकरण

वाणिज्यिक भूमि

**टिकरी कलां में अग्नि प्रभावित पीवीसी व्यापारियों
हेतु पुनर्वास स्कीम**

सार्वजनिक सूचना

पूर्ववर्ती पीवीसी मार्केट, ज्वालापुरी के अग्नि प्रभावित मूल आबंटियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) टिकरी कलां में पीवीसी व्यापारियों हेतु पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत पात्रता निर्धारित करने के लिए लंबित मामलों की जांच कर रहा है।

तदनुसार, पूर्ववर्ती पीवीसी मार्केट, ज्वालापुरी के सभी शेष मूल आबंटी, जिनके पास अभी भी उक्त पर कब्जा है, ने अपना पट्टा विलेख निष्पादित करवा लिया है, तथा जिन्हें पीवीसी मार्केट, टिकरी कलां में प्लॉट आबंटित नहीं किए गए हैं, उनसे एतद्वारा अनुरोध है कि वे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट **www.dda.gov.in** पर अपलोड किए गए परिपत्र के अनुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।

दस्तावेज़ उप निदेशक (वाणिज्यिक भूमि) के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

हस्ता./—

आयुक्त (एलडी)

ddaoofficial official_dda official_dda पर हमें फॉलो करें।

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें अथवा टोल फ्री नं. 1800110332 डायल करें।